न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code – UP1893

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–141/2026

कंप्यूटर रजि० नं० 195/2026

CNR No.UPGZ010056502026

वेदपाल सिंह.....बनाम.....अरूण कुमार

दिनांकः13–05–2026

1– आवेदक के द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मूलवाद संख्या–987/2017 जसवीर सिंह बनाम वेदपाल सिंह को न्यायालय जे०एस०सी०सी०गाजियाबाद से वापस लेकर किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किए जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है परंतु प्रार्थी का जिरह का अवसर बार–बार सम्बंधित न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा रहा है जबकि जिरह होनी अत्यावश्यक है। यदि प्रार्थी को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया तो उसकी अपार क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। अग्रेतर यह कहा गया कि विपक्षी गांव में यह कहता घूम रहा है कि हमारी न्यायालय से बात हो चुकी है और उक्त मुकदमे को अपने पक्ष में कराकर इसकी जमीन हड़प लेंगे। विपक्षी के अनुसार ही न्यायालय में तिथि अंकित की जा रही है। उक्त मूल वाद में दिनांक 07–04–2026 को पूर्व अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को तिथि की जानकारी नहीं दी गयी व पिछली कई तिथियों से पूर्व अधिवक्ता प्रार्थी को तिथियों की सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण प्रार्थी सम्बंधित न्यायालय में दिनांक 07–04–2026 को उपस्थित नहीं हो सका तथा सम्बंधित न्यायालय द्वारा प्रार्थी का जिरह का अवसर समाप्त कर अंतिम बहस हेतु दिनांक 22–04–2026 नियत कर दी गयी। उक्त तिथि को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर वादी की ओर से अंतिम बहस पर तर्कों को सुनकर पत्रावली में निर्णय हेतु 06–05–2026 नियत की गयी तथा प्रार्थी को दिनांक 04–05–2026 तक बहस हेतु सुनने का अवसर दिया गया जबकि पत्रावली पर अभी प्रार्थी/प्रतिवादी साक्ष्य दाखिल किया हुआ है, जिसका होना अत्यंत आवश्यक है, जबकि न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया है। यह कहा गया कि यदि प्रार्थी/प्रतिवादी का साक्ष्य पत्रावली पर लिए बिना आदेश व निर्णय पारित किया जाता है तो प्रार्थी/प्रतिवादी के साथ न्याय नहीं हो पाएगा और वह न्याय से वंचित रह जाएगा। अतः मूल वाद की पत्रावली सम्बंधित न्यायालय से वापस लेकर अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की याचना की गयी है।

2– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर विपक्षी की ओर से आपत्ति 9ग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि विपक्षी का मूल वाद सं० 987/2017 जसवीर बनाम वेदपाल सिंह लघुवाद न्यायाधीश के न्यायालय में स्पेसिफिक परफोरमेन्स हेतु विचाराधीन है जिसमें विपक्षी/वादी ने अपना साक्ष्य 2020 से पहले ही दे दिया था जिसे प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जिरह पूर्ण कर ली थी तथा बार–बार प्रतिवादी स्थगन देता रहा, फिर न्यायालय में आना बंद कर दिया तब सम्बंधित

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.05.14 14:25:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय ने स्वेच्छा से कई अवसर प्रदान कर प्रतिवादी की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर बहस हेतु पत्रावली नियुक्त की परंतु प्रतिवादी ने कोरोना बीमारी का हवाला देकर प्रार्थना पत्र दिया जिसे सम्बंधित न्यायालय द्वारा बिना हर्जे ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया तब प्रतिवादी ने अपने साक्षियों के शपथ पत्र दाखिल किए। तब तत्कालीन अधिकारी के समक्ष केवल प्रतिवादी वेदपाल का बयान होने के पश्चात् उसके गवाह का फर्जी मेडिकल लगाकर प्रतिवादी तिथियां लेता रहा तब पीठासीन अधिकारी ने डा०ओमपाल सिंह को तलब किया तथा पत्रावली पर लिखा कि प्रतिवादी वेदपाल 34 स्थगन ले चुका है परंतु उसके द्वारा गवाह पेश नहीं किया तथा सितम्बर 2025 में गवाही का अवसर समाप्त कर पत्रावली बहस हेतु नियत की परंतु फिर भी प्रतिवादी स्थगन लेता रहा है। वादी शिक्षित व्यक्ति है तथा गांव औरंगाबाद फजलगढ में नहीं रहता है, प्रतिवादी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोप मनगढन्त व कपोल कल्पित हैं। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

3– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर लघुवाद न्यायाधीश की आख्या तलब की गयी, जिनके द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि मूल वाद सं० 983/2017 जसवीर बनाम वेदपाल की पत्रावली उनके न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें निर्णय हेतु 06–05–2026 नियत है। प्रतिवादी काफी समय से साक्ष्य/जिरह प्रस्तुत करने में असफल रहा है। प्रतिवादी को साक्ष्य/जिरह हेतु कई अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् अवसर समाप्त कर अंतिम बहस पर वादी को दिनांक 22–04–2026 को सुना गया तथा वास्ते निर्णय 06–05–2026 नियत की गयी तथा प्रतिवादी को दिनांक 04–05–2026 तक अपनी बहस सुनाने का अवसर दिया गया किंतु प्रतिवादी दिनांक 04–05–2026 को भी बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

4– प्रार्थी के द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में मात्र यह आधार लिया गया है कि मूल वाद में सम्बंधित न्यायालय द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी की जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया है, यदि उसे जिरह का अवसर नहीं दिया गया तो उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा आहूत आख्या में यह उल्लिखित है कि प्रार्थी/प्रतिवादी को अनेकों अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद प्रतिवादी साक्ष्य/जिरह प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिस कारण उसकी अवसर समाप्त कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी तथा 22–04–2026 को वादी की बहस सुनकर पत्रावली निर्णय हेतु 06–05–2026 नियत करते हुए प्रतिवादी को 04–05–2026 तक अपनी बहस सुनाने का अवसर दिया गया। जहाँ तक आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि विपक्षी द्वारा गांव में शोहरत कर रखी है कि उसकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गयी है और अब मुकदमा उसके पक्ष में ही होगा, जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी को सम्बंधित न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है, आवेदक द्वारा दर्शित कारण कथित मौखिक जानकारी एवं मात्र आशंका पर आधारित हैं।

राजाराम बनाम अशोक कुमार, 2015(108)एएलआर 753(एल.बी.) में माननीय इलाहाबाद न्यायालय(लखनऊ पीठ) द्वारा यह कहा गया था किः–

"केवल अनुमान या संभावित आशंकाएं किसी मामले के स्थानान्तरण के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं।"

5– जब किसी मामले को पूर्वाग्रह की आशंका के आधार पर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं इसलिए इस आधार पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालयों द्वारा न्यायिक संवीक्षा के लिए खुले हैं। आवेदक पक्ष द्वारा सम्बंधित पीठासीन अधिकारी की तटस्थता और निष्पक्षता के खिलाफ पत्रावली पर कोई सामग्री या सबूत नहीं प्रस्तुत किया गया है।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधार के दृष्टिगत् पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र अंगीकरण के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 13.05.2026